भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 202
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है।

हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लि० की घाटा उठाने वाली सहायक कंपनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

202. श्री अम्बेथ राजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड की क्षति उठाने वाली 3 सहायक कंपनियों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड की इन 3 सहायक कंपनियों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन कर्मचारियों का पुनर्वास करने/उनको पुनः रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 06.01.2016 को हुई अपनी बैठक में एचएमटी लिमिटेड की निम्नलिखित सहायक कंपनियों को बंद करने का अनुमोदन किया है:

एचएमटी वाचिज लिमिटेड
एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड
एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड

ये कंपनियां भारी हानि उठा रही है और कई वर्षों से अपने कर्मचारियों को वेतन और सांविधिक देयों के लिए बजटीय सहायता पर आश्रित है। इनके पुनरुद्धार के लिए पूर्व में सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयास अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा, मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से इनके पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है; सरकार ने इसके कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश करते हुए, उपर्युक्त कंपनियों को बंद करने का निर्णय लिया है।

(ख): एससी/एसटी कर्मचारियों की संख्या

कंपनी	एससी	एसटी
एचएमटी वाचिज लिमिटेड	123	14
एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड	2	-
एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	10	1

(ग): सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, इन कंपनियों के सभी कर्मचारियों को डीपीई के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए, 2007 नोशनल वेतनमानों पर आकर्षक वीआरएस पैकेज तथा 2007 नोशनल वेतनमानों पर ही उपदान और छुट्टी नकदीकरण की पेशकश की जाएगी।

****